



International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519

IJSR 2017; 3(4): 09-15

© 2017 IJSR

www.anantaajournal.com

Received: 06-05-2017

Accepted: 07-06-2017

योगेन्द्र भारद्वाज

शोध-छात्र, विशिष्ट संस्कृताध्ययन

केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू

विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सुकन्या बरुवा

शोध-छात्र, विशिष्ट संस्कृताध्ययन

केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू

विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

नारियों के प्रति अपराध एवं दण्डव्यवस्था (मिताक्षरा के सन्दर्भ में)

योगेन्द्र भारद्वाज, सुकन्या बरुवा

प्रस्तावना

प्राचीन भारत की राजव्यवस्था में धर्म का सर्वोच्च स्थान रहा है। समाज के सभी वर्ग और कार्य प्रणाली के मूल में धर्म के नीति-निर्देश समन्वित थे। समाज का बृहत्तम व्यवस्थापक राजा भी धर्म से नीचे ही था। वह कानून तो बना सकता था किन्तु तब ही जब उसमें धर्म की हानि असंभावित हो।

प्राचीन भारत में हिन्दू शासन-प्रणाली सर्वथा एकछत्रीय थी। न्याय विभाग को शासन-विभाग से सर्वथा पृथक् ही रखा गया था, जो व्यवस्था आज भी विद्यमान है।

मनुस्मृति में धर्म के विषय में कहा गया है-

“वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥” 1

“शंसनात् शासनादिति शास्त्रम्” इस व्युत्पत्ति के द्वारा “जिससे शासन किया जाये वह शास्त्र है” तथा “धर्मस्य शास्त्रम् धर्मशास्त्रम्” इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से धर्म के शास्त्र को उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत वेद, पुराण, स्मृति, धर्मसूत्र, अर्थशास्त्रादि का समावेश किया जाता है। याज्ञवल्क्यस्मृति में भी धर्म के विषय में कहा गया है-

“श्रुतिः स्मृतिः सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥ 2

मनुस्मृति में वेदों को ही धर्ममूल संज्ञा प्रदान की गई है। यथा- “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्”। 3

महाभारत में भी कहा गया है- धर्मो रक्षति रक्षितः”4 । 'स्मृति' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में यह वेदवाङ्मय से इतरग्रन्थों, यथा -

Correspondence

योगेन्द्र भारद्वाज

शोध-छात्र, विशिष्ट संस्कृताध्ययन

केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू

विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

पाणिनि के व्याकरण, श्रौत, गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्रों, महाभारत, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य ग्रन्थों से सम्बन्धित है। किन्तु संकीर्ण अर्थ में स्मृति एवं धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही है, जैसा कि मनु का कहना है –

“श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।”⁵

धर्मशास्त्र के प्राचीन स्रोत वेद, स्मृतिग्रन्थ, धर्मसूत्र, व पुराणादि थे तथा आधुनिकयुग में भारतीय दण्ड-संहिता, दण्ड-प्रक्रिया संहिता और भारतीय संविधान हैं।

कुमारिलभट्ट के तन्त्रवार्तिक में 18 धर्म-संहिताओं के नाम आये हैं। “चतुर्विंशतिमत” नामक ग्रन्थ में 24 धर्मशास्त्रकारों के नाम उल्लिखित हैं। “वीरमित्रोदय” में उद्धृत प्रयोग पारिजात ने 18 मुख्य स्मृतियों, 18 उपस्मृतियों तथा 21 अन्य स्मृतिकारों के नाम लिये हैं। इन सभी में से याज्ञवल्क्यस्मृति प्रख्यात ग्रन्थ हैं। जिसकी टीका विज्ञानेश्वर कृत “मिताक्षरा” है, जो कि याज्ञवल्क्यस्मृति की साङ्गोपाङ्ग व्याख्या करती है। भारतीय धर्मशास्त्रज्ञों ने यद्यपि समाज को ही केन्द्र में लेकर विधिव्यवस्था निर्मित की थी। जिसका महत्वपूर्ण अंग नारी रही है। तभी कहा गया- “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता”⁶, क्योंकि

किसी देश की आधी जनसंख्या इनकी होती है, जो समाज को गतिशील बनाती है। स्मृतियों की संख्या तो अधिक है, किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का सटीक व सुगठित ढांचा वर्णित है।

नारियों के प्रति अपराधों का वर्गीकरण-

आधुनिक वैज्ञानिक युग में स्त्रियों के प्रति निरन्तर बढ़ते अपराधों के सन्दर्भ में स्त्री-सुरक्षा एक चिन्तनीय विषय है। भारत तथा विश्वभर के लोग तथा संगठन इस विषय पर यथासंभव प्रयासरत हैं।

सम्प्रति स्त्रियाँ अपने कार्यक्षेत्र, शैक्षिक - क्षेत्र, घर-परिवार तथा समाज में पीडित व शोषित की जाती हैं तथा लज्जा के भय से अपराधों को सहन करती हैं। अद्यतनीय दीर्घसूत्री न्यायप्रणाली को देखते हुये वे कुंठित होकर, आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध कर बैठती हैं, तो कहीं वे घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती हैं। सामाजिक परम्परा, प्रतिष्ठा और विश्वास के कारण वे यह सबकुछ सहन करती रहती हैं। यदि कहीं से आवाज आती भी है, तो लचर न्यायिक प्रक्रिया की वजह से दब कर रह जाती है। आज हमारे समाज में नारी सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के अपराध हैं, जिनका इस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है -

स्त्रियों के प्रति विभिन्न अपराधों का वर्गीकरण (वर्तमानकालिक दृष्टि) –

सामाजिक	धार्मिक	शारीरिक	मानसिक	अन्तर्जालिक
ऑनर किलिंग	पूजा-स्थलों में गमनागमन निषेध	बलात्कार	वाक्पारुष्य	सोशल नेटवर्किंग (Social Networking)
दहेज उत्पीडन	धार्मिक क्रियाओं में असहभागिता	दहेज-हत्या	गृह-कलह	पोर्नोग्राफी (Pornography)
वैश्यावृत्ति	अन्धविश्वास	अपहरण	ब्लैकमेलिंग	मल्टीमीडिया सन्देश (MMS)
लैंगिक भेदभाव	पंथ आधारित दुरुपयोग	यौन उत्पीडन (कार्यक्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र में)	महिलाओं से छेड़छाड़	ठगी (Spoofing)
कुप्रथायें	जादू-टोना	तेजावी हमला	मानहानि	पीछा करना (Stalking)
जातिगत भेदभाव		गर्भपात	लव जेहाद	मोर्फिंग (Morphing)
भ्रूणहत्या		घरेलू हिंसा		

आज २१वीं शताब्दी हमारे भारत में भी महिलाओं के प्रति बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, जैसे जघन्य अपराधों के बाद उनके सम्मानित रूप से जीवनयापन के लिये कोई भी समतामूलक एक राष्ट्रीय पुनर्वास-नीति नहीं है। यद्यपि कुछ राज्य नीतियाँ हैं, किन्तु वे लालफीताशाही या

लापरवाही की वजह से बुरे दौर से गुजर रही हैं। नारियों के लिये मुआवजे हेतु समतामूलक राष्ट्रीय मुआवजा नीति भी नहीं है। कहीं तो पीड़िता को १०लाख का मुआवजा (गोवा) दिया जाता है, तो कहीं १० हजार, और कहीं तो ४ जूते मारकर सरे-आम माफी मँगवाकर भी छोड़ दिया जाता है।

महिलाओं के प्रति अपराध दिनों-दिन वृद्धि पर हैं, अतएव समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्तर प्राप्त कराने हेतु सामाजिक-चेतना, त्वरित- न्यायव्यवस्था तथा नारी-शक्ति के संरक्षण-संबर्द्धन हेतु विधि-निर्माण की आवश्यकता है। अतएव आज के प्रशासन तथा सरकार का प्रथम कर्तव्य स्त्री-अपराधों की रोकथाम हेतु दण्ड -प्रक्रिया, विधि-विश्लेषण करना तथा तदपेक्षित विधि-निर्माण करना है।

मिताक्षरानुसार नारियों के प्रति अपराध व दण्डव्यवस्था
वर्तमानकालिक समाज के सर्वाधिक चिन्तन का विषय है- नारी- सुरक्षा व नारी सशक्तीकरण। नारियों के प्रति जो घृणित अपराध तत्कालीन समाज में देखे गये, तो याज्ञवल्क्यस्मृति में उनके आरोपी पर कठोर दण्डव्यवस्था आरोपित की। उस समय कन्या/ स्त्री से यदि कोई हिंसा, बलात्कार अथवा वाक्पारुष्यादि सम्बन्धित कृत्य करता था, वह दण्डनीय था। यदि आज भी तत्सदृश ही कठोर दण्डव्यवस्था लागू की जाये, तो सम्भवतः हमारा सम्मान शीघ्र ही पुनः श्रेष्ठता प्राप्त करेगा।

यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता (IPC) तथा दण्ड-प्रक्रिया संहिता (CrPC) – यद्यपि आज न्यायिक प्रक्रिया व दण्डव्यवस्था देखती हैं तथापि अपराधवृद्धि अनवरत हो रही है। मिताक्षराकालीन नारी-सम्बन्धी अपराध तथा दण्डव्यवस्था को अब हम यहां निम्न बिन्दुओं के माध्यम से चिह्नित कर दण्डव्यवस्था का आकलन कर सकते हैं। यथा-

गर्भपातसम्बन्धी अपराध-

यदि कोई किसी स्त्री पर शस्त्र चलाये या गर्भपात करे, तो वह उत्तम साहस के दण्ड का भागी होता है तथा यदि वह स्त्री को मार डाले, तो भी उस पर उत्तम साहस का दण्ड लगाया जाता है। आज भी गर्भपात कराना संगीन अपराध है और दोषी पाये जाने पर जेल जाना अपेक्षित है, वह भी अर्थदण्ड के साथ। मिताक्षराकाल में दण्डव्यवस्था इस प्रकार थी, यथा-

“शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः।

उत्तमो वाधमो वापि पुरुष-स्त्री प्रमापणे ॥” 7

स्त्रीसंग्रहण -

“स्त्रीपुंसयोर्मिथुनीभावः संग्रहणम्” 8 अर्थात् स्त्री और पुरुष का सहवास ही संग्रहण है। यह सहवास यदि कोई पुरुष परस्त्री के साथ करता है, तो वह अपराध या व्यभिचार की श्रेणी में आता है। वह व्यभिचारी या अपराधी, दण्ड की दृष्टि से प्रथमसाहस, मध्यमसाहस और उत्तमसाहस के रूप में दण्डित किया जाता है। यह दण्ड तीन (३) प्रकार का होता है। यथा-

“त्रिविधं तत्समाख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम् ॥” 9

प्रथमसाहस-

“कटाक्षावेक्षणं हास्यं प्रथम साहसं स्मृतम् ॥” 10

असभ्य या अक्षील भाषापूर्वक परस्त्री के साथ हास्य या कटाक्षपूर्वक जो अवलोकन है, वह प्रथम-साहस के दण्ड में आता है। वर्तमान समय की छेड़खानी से सम्बन्धित घटनाओं के विषय में भी प्रथम साहस के अनुरूप ही दण्डविधान अपेक्षित है।

मध्यमसाहस-

“प्रलोभनं चान्नपानैर्मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥” 11

प्रलोभनीय वस्तु प्रदानकर या अन्नपानादि से परस्पर जो बर्ताव या क्रीडापूर्वक व्यापार है, वह मध्यम साहस कहलाता है। इस प्रकार की घटना बहुधा ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती हैं, जिन्हें पीडिता जानती है। अतएव वह विश्वास से उसके द्वारा दिए गए विषैले जलपान को स्वीकार करती है और अनजाने में ही पीडित की जाती है।

उत्तमसाहस-

“केशाकेशिग्रहश्चैव सम्यक् संग्रहणं स्मृतम् ॥” 12

एकान्त में केशग्रहणपूर्वक बलात् जो क्रीडा की जाती है, वह अपराध उत्तम-साहस दण्ड में आता है। यदि ऐसे चिह्न विशेष जहाँ पाये जाये, वहाँ स्त्री-संग्रहण नामक अपराध होता है।

कन्याहरण-

प्राचीन समय में कन्यापहरण का अपराध भी सामने आता है, अतएव उसका वर्णन भी किया गया है। बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उससे विवाह किया जाता था। यद्यपि उस समय बहुविवाह की प्रथा होने से समाज में विवाह पर रोक नहीं थी, किन्तु कन्याओं की अनुमति भी अनिवार्य थी। यदि कोई बलात् ऐसा करने की धृष्टता करता था, तो उसे दण्डित करने का विधान था। वस्तुतः तत्कालीन समाज वर्णव्यवस्था में विभाजित था, अतएव वर्णक्रम से ही दण्डव्यवस्था भी थी। यथा-

“अलङ्कृतां हरन्कन्यामुत्तमं ह्यन्यथाधमम् ।

दण्डं दद्यात्सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥”¹³

अर्थात् विवाह के लिये अलङ्कृत सवर्णा कन्या का अपहरण करने वाले को उत्तम साहस का दण्ड देना चाहिये। यदि कन्या का तत्काल में विवाह न हो रहा हो तो अधम साहस का दण्ड देवे। यदि अपहरण कुलीन कन्या का किया गया हो, तो वध दण्ड दिया जाये।

गलत-स्पर्श द्वारा व्यभिचाराचरण-

“नीवीस्तनप्रावरणसक्थिकेशावमर्शनम् ।

अदेशकालसंभाषं सहैकासनमेव च ॥”¹⁴

अर्थात् यदि कोई व्यक्ति साभिलाष परस्त्री के नीवी, स्तन, जघन, केशादि परिधान तथा निषिद्ध अङ्गों का स्पर्श करे अथवा एकान्तप्रदेश या अन्धेरे में जबरन बातचीत करने की कोशिश करे अथवा एक ही आसन पर बैठे, तो ऐसे पुरुष को “स्त्री-संग्रहण” के अपराध में पकड़े तथा कठोरतम दण्ड देवे। उपरोक्त समस्या किसी भी गन्तव्य-मार्ग तथा वाहनों में अवश्य ही देखने को मिलती है। स्त्रियाँ/कन्यायें अक्सर ऐसे अपराधों का शिकार होती हैं तथा वे न चाहते हुये भी यह सब कुछ सहन करती हैं। क्योंकि शायद न्यायिक-प्रक्रिया में समस्या है। अवाञ्छित तत्त्व ऐसी गन्दगी फैलाते अवश्य ही दिखाई देते हैं तथा समाचार-पत्र इनसे भरे रहते हैं। अतएव इस पर त्वरित कार्यवाही के साथ दण्ड/कठोरदण्ड भी अनिवार्य है।

ऋणादान तथा घरेलू-कलह -

मिताक्षराकार वर्णन करते हैं कि स्त्री, पति का वही ऋण दे, जो कि उसने स्वयं अथवा पति के साथ लिया हो, अन्य ऋण न दे। साथ ही यदि पति व्यसनी हो, तब न दे। यदि वह ऋणप्रत्यावर्तन हेतु घरेलू हिंसा करे, तो वह न्यायालय जा सकती है। यथा -

“प्रतिपन्नं स्त्रिया देवं पत्या व सह यत्कृतम् ।

स्वयंकृतं वा यदृणं नान्यत्स्त्री दातुमर्हति ॥”¹⁵

बलादपराध -

यदि स्त्रियों से बलात्कार सम्बन्धित कोई घटना हुई है, तो मिताक्षरा में वधदण्ड तक की व्यवस्था है। यद्यपि तत्कालीन व्यवस्था वर्णाधारित थी, अतएव धनदण्ड तथा वध-दण्ड दोनों प्रकार के दण्डों का विधान है। यथा-

“सजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः ।

प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्या कर्णादिकर्तनम् ॥”¹⁶

तत्कालीन समाज में चारों वर्णों की किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार होने पर आरोपी पर प्रथम साहस (१०८० पणों का) दण्ड होता था। यदि अपराध कठोर है, तो उसके स्वभानुरूप ही दण्ड होता था। वधदण्ड की भी पूर्ण सम्भावना थी और अंगभंग की भी। आज २१वीं शताब्दी में बलात्कार के अपराधों में अधिकता देखी जा रही है। विशेष रूप से बड़े बड़े नगरीय जीवन में और दण्डव्यवस्था की कठोरता न होने के कारण अपराधियों में भय की कमी है, जिससे वह स्त्री को खिलौना मात्र समझने की भूल करता है। जो उसे जन्म देती है, उसका पालन करती है, उसको एक जीवन प्रदान करती है। उसे पति का दर्जा उपलब्ध कराने का सौभाग्य देती है, उसे पिता बनाकर पितृऋण से मुक्त कराती है।

दण्ड-पारुष्य या घरेलू हिंसा -

यदि स्त्रियों पर कोई भस्म, कीचड़, धूल आदि फेंके अथवा पाँव, केश, कपडा या हाथ इत्यादि पकड़कर खींचे तो १० पण का दण्ड देवे। यदि स्त्री पर प्रहार करे तो उस पर १००

पण का दण्ड देवे। घरेलू हिंसा से आशय कायिक, वाचिक तथा मानसिक हिंसा से है। यदि परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रकार की हिंसा कन्या के साथ करता था, तो वह दण्ड का भागी होता था। उसे अर्थदण्ड दिया जाता था अथवा अपराधस्वरूपानुसार दण्ड दिया जाता था। यथा-

“पादकेशांशुककरोल्लुञ्चनेषु पणान् दश ।

पीडाकर्षां शुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥”¹⁷

वाक्पारुष्य -

यदि कोई किसी व्यक्ति को माँ-बहन की अक्षील गाली-गलौज का प्रयोग करे, तो उसे राजा २५ पण का दण्ड देवे। यदि ऐसा असवर्णी, हीन स्त्री पर करे तो आधा दण्ड लगावे और यदि ऐसा व्यवहार कुलीन परस्त्री पर हो, तो दुगना दण्ड देवे। यथा-

“अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह।

शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चविंशतिकं दमम् ॥

अर्धोऽधमेषु द्विगुणः परस्त्रीषूत्तमेषु च ॥”¹⁸

चरित्रोपरि झूठा लांछन लगाना

कन्या के विवाह से पूर्व यदि उसके चरित्र पर कोई झूठा दोषारोपण करे अथवा करावे, उस (आरोपी) पर १०० पणों का दण्ड लगाना चाहिये। यथा-

अदुष्टा तु त्यजन्दण्ड्यो दूषयंस्तु मृषा शतम् ॥ 19

यदि कोई किसी कन्या को चारित्रिक दोष देता है, तो उसे १०० पण दण्ड तथा झूठमूठ दोषी ठहराता है, तो २०० पण का दण्ड देना चाहिये। यथा-

शतं स्त्रीदूषणे दद्यात् द्वे तु मिथ्याभिर्शंसने ॥²⁰

त्वरितन्यायव्यवस्था (Fast Track Court) -

मिताक्षराकार के अनुसार त्वरित न्याय-व्यवस्था (Fast Track Court) की अवधारणा विकसित की गई है। यह व्यवस्था तत्कालीन समाज में विद्यमान थी और न्याय देने में कम समय लेती थी। यथा-

“साहसास्तेयपारुष्यगोभिशपात्यये स्त्रियाम् ।

विषादयेत् सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः॥”²¹

अर्थात् साहस (मारणादि), चोरी, गाली-गलौज, गो-हत्या, महापातक (जैसे- स्त्री दुष्कर्म, हत्या आदि), धन-हानि तथा स्त्री-हरण से सम्बन्धित मुकदमों के लिए त्वरित न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। यद्यपि त्वरितन्यायव्यवस्था आज भी विद्यमान है किन्तु समस्याग्रस्त है। आज न्याय मिलने में देरी अधिक है, दुष्कर्म की पीडिता का शारीरिक शोषण होने के बाद बारम्बार मानसिक रूप से दुष्कर्म होता है, जब भी वह अपराधी को देखती है, उसकी भयभीत होने की भावनायें की पराकाष्ठा को प्राप्त करती हैं।

मिताक्षरीय दण्ड-व्यवस्था-

मिताक्षराधारित दण्डव्यवस्था का विज्ञानेश्वर विवेचन करते हैं कि दण्ड चार प्रकार का होता है-

(१) धिग्दण्ड (२) वाग्दण्ड (३) धनदण्ड (४)

वधदण्ड ।²²

इसके अतिरिक्त भी निर्देशित किया गया है कि-

“ज्ञात्वाऽपराधं देशं च कालं बलमथापि च ।

वयः कर्म च वित्तञ्च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥”²³

कर्म, धन आदि के अनुसार जानकारी प्राप्त कर दण्ड निर्धारण करना चाहिए। वर्तमानकालिक दण्डव्यवस्था को सुदृढ करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में दण्डविधान तो है, किन्तु उसकी प्रक्रिया जटिल है, जो मिताक्षरा काल के विपरीत दिखाई देती है। अतएव मिताक्षरीय व्यवस्था अनुकरणीय है।

मिताक्षराकार प्रथममध्यमोत्तम साहस का भी निर्धारण करते हैं। जिनमें दण्ड रूप में एक निश्चित मात्रा में धन लिया जाता है। यथा उत्तमसाहस= १०८०पण, मध्यमसाहस=५४० पण तथा प्रथम साहस=२७० पण का धन दण्ड स्वरूप में लिया जाता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिताक्षरा की मान्यता

“आर्यविधानम्” नामक ग्रन्थ में मिताक्षरीय प्रभाव का वर्णन किया गया है। यह सत्य भी है कि दाय-भाग आदि विषयों पर भारतीय राज्यों के अनेक नियम/विधियाँ लागू हैं। यथा वर्णित है-

“वाराणस्यां महाराष्ट्रे वेदेहे द्रविडे तथा ।

मान्या मिताक्षरा नित्यं प्रान्तिकाऽऽचारमिश्रिताः
॥”²⁴

अर्थात् बनारस, महाराष्ट्र, मिथिला और मद्रास में उस प्रान्त की परम्पराओं से सामंजस्य रखते हुये, मिताक्षरा सदा मान्य है।

और भी वर्णित है-

“मिताक्षरा मता मुख्या महाराष्ट्रे तथोत्तरे ।

कनारा नाम्नि देशेऽथ प्रान्ते रत्नगिरेः पुनः ॥”²⁵

अर्थात् महाराष्ट्र में, उत्तर कनारा नामक देश में (उ. कर्नाटक) और रत्नागिरि प्रान्त में मिताक्षरा को प्रमुखता दी गई है। आज भी न्यायिक व्यवस्था में मिताक्षरीय विधि को ध्यान में रखकर अथवा उसका सहयोग लेकर नूतन विधिनिर्माण कर सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ किया जाता है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी यथासम्भव भारतीय प्राचीन व्यवस्था का सहयोग लिया जाता रहा है।

भारतीय दण्ड संहितानुरूप अर्वाचीन व्यवस्था-

भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code-IPC) भारत के अन्दर (जम्मू एवं काश्मीर को छोड़कर) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दण्ड संहिता (RPC) लागू होती है। इसमें कुल २३ अध्याय तथा ५११ धारायें हैं।

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् १८६२ में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे (विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद)। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू

किया है। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों (बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि) में भी लागू किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की निम्न धाराओं में स्त्रियों के प्रति अपराधों की दण्डव्यवस्था की गई है-

धारा-३२६ (a) – तेजाबी हमला

धारा-३२६ (b) – तेजाबी हमले का प्रयास

धारा-३५४ (a) – यौन उत्पीडन

धारा-३५४ (b) – Act with Intent to disrobe a Women.

धारा-३५४ (c) – Voyeurism

धारा-३५४ (d) – Stalking

➤ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, १९६१

➤ राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९०

➤ घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, २००५

➤ निर्भया अधिनियम, २०१३

➤ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम, २०१३ इत्यादि अनेक विधि वर्णित हैं।

वर्तमान में अधिकांश जन इस विषय पर गहन चिन्तन कर रहे हैं। इस पत्र का भी उद्देश्य एक सुरक्षित व कल्याणप्रद समाज का गठन करना है, जिससे भारत का सम्मान संरक्षित रहे। स्त्रियों के प्रति अपराध के कारण व उनकी रोकथाम हेतु विधि-निर्माण सुझाव भी इसका एक हेतु है।

१२वीं शताब्दी की न्यायिक-प्रक्रिया का अध्ययन व दण्ड-विधान तथा आधुनिक न्यायिक-प्रक्रिया का अध्ययन व दण्ड-विधान का अध्ययन, विश्लेषण कर, वर्तमान काल में मिताक्षरा की उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास, इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है। दोनों न्यायिक प्रणालियों की समीक्षा कर, आवश्यक मिताक्षरीय गुणों की आधुनिक व्यवस्था में समावेश करने का सुझाव दिया जायेगा। यह शोधपत्र सम्भवतः भारतीय समाज को एक नवीन दृष्टिकोण उपलब्ध करायेगा, ऐसी शोधार्थी की आशा है।

संदर्भ सूची

1. मनु.२.१२
2. याज्ञवल्क्य.आचारा.७
3. मनु.२.६

4. मनु.८.१५
5. मनु.२.१०
6. मनुस्मृति
7. मिताक्षरा
8. मिताक्षरा
9. मिताक्षरा
10. मिताक्षरा
11. तत्रैव
12. तत्रैव
13. मिताक्षरा
14. मिताक्षरा
15. मिताक्षरा
16. मिताक्षरा
17. मिता.२.२१६
18. मिता.२.२०५/०६
19. मिता.१.६६
20. मिता.२.२८९
21. याज्ञवल्क्यस्मृ.२.१२
22. धिग्दण्डस्त्वथवाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा ।
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे ॥
मिता.२.३६७
23. मिताक्षरा.२.३६८
24. आर्यविधानम् १.४
25. आर्यविधानम् १.१५